

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल 2016—वैशाख 5, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-4-2016-1-पांच (30).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 26 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्ग को, जो कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी है, उक्त उपधारा के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

1. सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उपक्रम
2. समस्त पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां.
2. यह अधिसूचना दिनांक 5 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-4-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-4-2016-1-पांच (30), दिनांक 25 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 25th April 2016

No. F-A-3-4-2016-1-V-(30).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 26 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, exempts the following class of persons who are registered dealers, from the operation of said sub-section, namely:—

- (1) All Public Sector Undertaking;
- (2) All Public Limited companies;

2. This notification shall be deemed to have come into force from 5th April, 2016; and

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.